


मेल (34)
२१/९/२२

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल दिनांक २१/०९/२०२२


क्रमांक ५२८५ / 849063 / 2022 / 18-1:: म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश क्र. एफ-70NN-15/2022/पाँच/2017 दिनांक 14.09.2022 के क्रम में राज्य शासन एतद्वारा श्री आभा त्रिपाठी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पाली जिला उमरिया को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास में संलग्न किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हर्षल पंचोली)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक २१/०९/२०२२

पृष्ठा. क्र. ५२८५ / 849063 / 2022 / 18-1
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मा.मंत्रीजी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
2. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर आपके ज्ञाप क्र. एफ 70एनएन-15/2022/पाँच/2017 दिनांक 14.09.2022 के परिपालन में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
5. संबंधित कलेक्टरम.प्र.।
6. संबंधित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास.....
म.प्र. की ओर संबंधित अधिकारी को समयवधि में कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित कर संचालनालय के माध्यम से पालन प्रतिवेदन 03 दिवस में प्रेषित करें।
7. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती.....की ओर पालनार्थ प्रेषित।
8. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास की ओर विभाग की वेबसाईट पर तत्काल प्रकाशन करने हेतु पालनार्थ प्रेषित।
9. आर्डर बुक,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग